रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2015/चैत्र 12, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 233

No. 40] DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2015/CHAITRA 12, 1937 [N.C.T.D. No. 233

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2015

संख्या 24(9)एफ.सी/2015/विसस-6/विधायी/15446.— दिल्ली विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उनके सामने दर्शाए गए समितियों के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं :-

लोक लेखा समिति

1. श्री सुरेन्द्र सिंह
2. चौ. फतेह सिंह
3. श्री अजय दत्त
4. श्री गिरीश सोनी
5. श्री दिनेश मोहनिया
6. श्री नारायण दत्त शर्मा
7. श्री विशेष रवि
8. श्री एस के बग्गा
9. श्री ओम प्रकाश शर्मा

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री एस. के. बग्गा
2. सुश्री भावना गौड
3. चौ. फतेह सिंह
4. श्री दिनेश मोहनिया
5. श्री अजय दत्त
6. श्रीमती प्रमिला टोकस
7. श्री नारायण दत्त शर्मा
8. श्री राजू धिंगान
9. श्री विशेष रवि

प्राकल्लन समिति

1. श्री सौरभ भारद्वाज
2. श्री एस. के. बग्गा
3. सुश्री भावना गौड
4. चौ. फतेह सिंह
5. श्री गिरीश सोनी
6. श्री दिनेश मोहनिया
7. श्री विशेष रवि
8. श्री नारायण दत्त शर्मा
9. श्री सहि राम

एल. आर. गर्ग, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2015

No. F. 24(9)/F.C./2015/LAS- VI/Leg./15446.—The following members of Delhi Vidhan Sabha have been elected unopposed to the following Committees for the financial year 2015-2016 as shown below against each:—

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

1. Shri Surender Singh
2. Ch. Fateh Singh
3. Shri Ajay Dutt
4. Shri Girish Soni
5. Shri Dinesh Mohaniya
6. Shri Narayan Dutt Sharma
7. Shri Vishesh Ravi
8. Shri. S.K. Bagga
9. Shri Om Prakash Sharma

COMMITTEE ON GOVT. UNDERTAKING

1. Shri. S.K. Bagga
2. Ms. Bhavna Gaur
3. Ch. Fateh Singh
4. Shri Dinesh Mohaniya
5. Shri Ajay Dutt
6. Ms. Parmila Tokas
7. Shri Narayan Dutt Sharma
8. Shri Raju Dhingan
9. Shri Vishesh Ravi

COMMITTEE ON ESTIMATES

1. Shri Saurabh Bharadwaj
2. Shri S.K. Bagga
3. Ms. Bhavna Gaur
4. Ch. Fateh Singh
5. Shri Girish Soni
6. Shri Dinesh Mohaniya
7. Shri Vishesh Ravi
8. Shri Narayan Dutt Sharrna
9. Shri Sahi Ram

L. R. GARG, Secy.

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सं. फा. 03 (24) वित्त (राज-1)/2014-15/डि.स.-VI/233.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा 31 मार्च, 2015 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं जिस तिथि को उक्त अधिनियम लागू होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के नाम तथा उनके आदेश पर,

रविन्द्र कुमार, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2015

No. F. 3(24)/Fin.(Rev.-I)/2014-15/dsVI/233.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Delhi Value Added Tax (First Amendment) Act, 2015 (Delhi Act 03 of 2015), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 31st March, 2015 as the date on which said Act shall come into force.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. -VI (Finance)

गृह (पुलिस-2) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सं.फा. 2/1/88/गृह पुलिस-2/2416.— चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19/04/15 से 18/07/15 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

राजेन्द्र कुमार आहुजा, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2015

No. F. 2/1/88-HP-II/Part/2416.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period 19-04-2015 to 18-07-2015 the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub-section (2) of the Section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

RAJENDER KUMAR AHUJA, Dy. Secy. (Home)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सं.फा. 6/68/2010-न्याय/पार्ट फाईल/Suptlaw/273-276.—माननीय न्यायाधिपति श्री जयंत नाथ, माननीय न्यायाधिपति श्री नज्मुस्सहर वज़ीरी @ नज्मी वज़ीरी, माननीय न्यायाधिपति श्री संजीव सचदेवा, माननीय न्यायाधिपति श्री विभु बाखरू, माननीय न्यायाधिपति श्री वल्लुरी कामेश्वर राव, माननीय न्यायाधिपति सुश्री सुनीता गुप्ता, माननीय न्यायाधिपति सुश्री दीपा शर्मा एवं माननीय न्यायाधिपति श्री वेद प्रकाश वैश्य ने, दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में अपने-अपने कार्यालय का कार्यभार दिनांक 18.03.2015 (पूर्वाह्न) से सम्भाल लिया है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

आर. किरण नाथ, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, 31st March, 2015

No. F. 6/68/2010-Judl./Pt.file/suptlaw./273-276.—Hon'ble Mr. Justice Jayant Nath, Hon'ble Mr. Justice Najmussahar Waziri @ Najmi Waziri, Hon'ble Mr. Justice Sanjeev Sachdeva, Hon'ble Mr. Justice Vibhu Bakhru, Hon'ble Mr. Justice Valluri Kameswar Rao, Hon'ble Ms. Justice Sunita Gupta, Hon'ble Ms. Justice Deepa Sharma and Hon'ble Mr. Justice Ved Prakash Vaish have assumed charge of their respective offices as Judges of the High Court of Delhi in the forenoon of 18.03.2015.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

R. KIRAN NATH, Principal Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सं.फा. 3/352/नीति/वैट/2013/936-947.—अधिसूचना संख्या सं. फा. 3/352/नीति-/वैट/2013/585-596 दिनांक 15.12.2014 के आंशिक संशोधन में, जो कि प्रपत्र डी.पी. 1 में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित थी, मैं, संजीव खीरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित अधिनियम की धारा 70 की उप धारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) व (3) तथा धारा 59 की उपधारा (2) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करता हूँ कि डी.पी. 1 में ऑनलाइन सूचना दिनांक 30.06.2015 तक प्रस्तुत की जायेगी ।

उपर्युक्त अधिसूचना की बाकी सामग्री उसी प्रकार रहेगी ।

संजीव खीरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, 31st March, 2015

No. F. 3(352)Policy/VAT/2013/936-947.—In partial modification of Notification No. F. 3(352)Policy/VAT/2013/585-596 dated 15/12/2014 regarding submissin of informatin online in Form DP-1, I, Sanjeev Khirwar, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (1) read with sub-section (2) and (3) of Section 70 and sub-section (2) of Section 59 of Delhi Value Added Tax Act, 2004, notify that the Form DP-1 shall be submitted online by all the dealers latest by 30/06/2015.

Rest of the contents of the above said Notifications shall remain the same.

SANJEEV KHIRWAR, Commissioner,
Value Added Tax

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सं.फा. जीए/1160/1/प्रशासन/2013/594-615.—दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली विधान सभा के सदस्य श्री साही राम, तुगलकाबाद (ए.सी. 52), श्री अखिलेश पति त्रिपाठी, मॉडल टाउन (ए.सी. 18) और श्री हजारी लाल चौहान, पटेल नगर (ए.सी. 24) को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (iii) के अन्तर्गत, दिनांक दिसम्बर 10, 2010 की अधिसूचना सं. फ .4 (7)/ यूडी/ डीयूएसआईबी/2010/20020-20044 द्वारा गठित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, के सदस्य के रूप में दो वर्ष की अवधि तक या संबंधित दिल्ली विधान सभा के सदस्य के रूप में न रहने, जो भी पहले हो, तक के लिये सदस्य नामांकित करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नरेन्द्र कुमार, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2015

F. No. GA/1160/1/Admn/2013/-594-615.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Shri Sahi Ram, MLA -Tughlakabad (AC No. 52), Shri Akhilesh Pati Tripathi, MLA - Model Town (AC No, 18) and Shri Hazari Lal Chauhan, MLA - Patel Nagar (AC No. 24) under clause (iii) of sub section (4) of Section 3 of the said Act, as Member in Delhi Urban Shelter Improvement Board, Delhi, constituted vide notification No. F.4(7)/UD/DUSIB/2010/ 20020-20044 dated 10th December, 2010, for a period of two years or till they cease to be Member of the Legislative Assembly of Delhi, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

NARENDRA KUMAR, Principal Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054